नीतीश मिश्रा

मंत्री
ग्रामीण विकास विभाग
एवं
समाज कल्याण विभाग
बिहार

पत्रांक 371/नि०

दिनांक 29-5-14

माननीय मंत्री,
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना

मधुबनी जिलान्तर्गत ग्रामीण कार्य प्रमंडल, झंझारपुर–1 की **अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं महादलित** बहुल 4 पंचायतों की अधिकांश आबादी को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली निम्नलिखित दो सड़कें अत्यंत जर्जर हो चुकी है जो वाहनों के परिचालन योग्य नहीं है।

i) **नवानी मुसवा पाकड़ गाछी से सिरखड़िया तक** जाने वाली सड़क (दूरी लगभग 7 किलोमीटर)।
ii) **चनौरागंज चौक से बेरमा, कछुवी होते हुए तमुरिया तक** जानेवाली पथ।

उक्त पथ ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी आबादी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोनों कालीकृत सड़कों पर **विगत छः वर्षो** से अधिक अवधि से किसी प्रकार की मरम्मति कार्य नहीं किये जाने तथा वाहनों के आवागमन के भार के कारण सड़के जर्जर हो गयी है और वाहनों के परिचालन में काफी कठिनाई होती है। उक्त सड़कों पर सुचारू रूप से यातायात सुनिश्चित कराने हेतु विशेष मरम्मति नितान्त आवश्यक है।

आग्रह है कि, उक्त दोनों जर्जर सड़कों की विशेष मरम्मति हेतु समुचित आदेश देना चाहेंगे।

शुभकामनाओं के साथ,

Nitish Mishra 29.5.14
(नीतीश मिश्रा)

कार्यालय - पुराना सचिवालय, पटना-800 001, बिहार, टेलीफैक्स -0612-2205331, 2215045
आवास-12, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800 001, बिहार, टेलीफैक्स-0612-2215218, 2215977
E-mail:nitishmishraoffice@gmail.com Website: www.rdd.bih.nic.in; www.socialwelfare.icdsbih.gov.in

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–13 / अ0प्र0–1–17 / 14 132 / पटना, दिनांक– 1·9·14

प्रेषक,

काशी नाथ सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

नेबंधित

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, झंझारपुर।

विषय : **मांग संख्या–37 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–3054–सड़क तथा सेतु–उप मुख्य शीर्ष–04–जिला तथा अन्य सड़कें–लघु शीर्ष–105–रख–रखाव तथा मरम्मत–उपशीर्ष 0001–ग्राम सड़क– अन्य रख–रखाव व्यय के 2702 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद वित्तीय वर्ष 2014–15 में निधि का आवंटन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में निम्न सारणी के अनुसार मरम्मति हेतु वर्तमान में **कुल– ₹ 227.70000 लाख (दो करोड़ सताईस लाख सत्तर हजार) रू0 मात्र** की राशि का आवंटन प्रदान किया जाता है ।

<u>सारणी</u>

क्र0 सं0	कार्य प्रमंडल का नाम	पथ का नाम	राशि (लाख रू0 में)	अभ्युक्ति
1	झंझारपुर	नवानी मुसवा पाकड़ गाछी से सिरखड़िया तक जाने वाली सड़क लम्बाई 3.00 कि0मी0	227.70000	
	कुल योग		**227.70000**	

2. यह राशि विपत्र कोड सं0–N 3054041050001 के अन्तर्गत है।

3. यह राशि मांग संख्या–37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष –3054–सड़क तथा सेतु–04– जिला तथा अन्य सड़कें–105–रख–रखाव तथा मरम्मत–0001–ग्राम सड़क– अन्य रख–रखाव व्यय के 2702–सड़क अनुरक्षण ईकाई मद में वित्तीय वर्ष 2014–15 में व्यय हेतु उपबंधित राशि से विकलित होगा।

4. इस राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में की जायेगी। राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। गलत एवं अधिक

निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

5. इस राशि से सिर्फ उन्हीं योजनाओं का भुगतान किया जाय जो जिस वर्ष की योजना हो उसी वित्तीय वर्ष में उन योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया हो। भुगतान के पूर्व कार्यपालक अभियंता, यह सुनिश्चित कर लें कि योजना के संबंध में विभागीय निगरानी जॉच प्रतिवेदन को अनुपालन कर दिया गया है।

6. पथ मरम्मति कार्य के पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने के उपरांत इसका विडियोग्राफी/फोटोग्राफी अवश्य करा लिया जाय।

7. कोषागार/उपकोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/ उपशीर्ष/ प्राथमिक ईकाई/विपत्र कोड़ संख्या आदि की मुहर स्पष्ट रुप से अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में अभिलेख सही तरीके से रखा जा सके।

8. यह विवरणी प्रत्येक अगले माह की 10 तारीख तक टी0वी0 न0/चेक न0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रुप से महालेखाकार बिहार, पटना को तथा इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाये।

9. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 687 दिनांक–24.07.14 पत्रांक 2561 वि0 (2) दि0 17.04.1998 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–27 दिनांक– 11.08.14 में दिये गये निदेश के आलोक में की जायेगी।

10. इस आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 475 में दिए गए निदेश के आलोक में किया जाए। इसके साथ ही वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों/नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए।

11. इस आवंटन पत्र के सभी पृष्ठ विभागीय विशेष सचिव द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

विश्वासभाजन
1/9/14
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–13/अ0प्र0–01–17/14 132 पटना, दिनांक– 1·9·14

– प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को निबंधित डाक से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/9/14
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–13/अ0प्र0–01–17/14 132 पटना, दिनांक– 1·9·14

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रा0का0वि0 के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव,

ग्रा0का0वि0 / संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, / संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0, अनुश्रवण एवं विविध प्रकोष्ठ मुख्यालय, पटना / परियोजना प्रबंधक (MR), 12 वें एवं 13 वें वित्त आयोग, ग्रा0का0वि0 / वित्त विभाग (बजट शाखा) / योजना विभाग (योजना शाखा), पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा, ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/9/14

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–13 / अ0प्र0–01–17 / 14 132 पटना, दिनांक– 1·9·14

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी, को निबंधित डाक से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/9/14

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–13 / अ0प्र0–01–17 / 14 132 पटना, दिनांक– 1·9·14

प्रतिलिपि:– प्रबंधक सूचना प्रावैधिकी, ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के बेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।

1/9/14

सरकार के विशेष सचिव